

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-2

संख्या-110/2017/3887/दो-2-2017-28/2(26)/2071

लखनऊ: दिनांक: 13 अक्टूबर, 2017

आदेश

श्री जय शंकर त्रिपाठी, सेवानिवृत्त, पी0सी0एस0 ने अपने भविष्य निधि निर्वाह खाता संख्या-जी0ए0यू0-71994 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री जय शंकर त्रिपाठी, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-17/मिलान डायरी-346/66721/ओडी/338/993/62603 दिनांक 21-09-2017 के अनुसार वर्ष 2015-2016 तक कुल जमा धनराशि रू0-4,60,562/- (रू0-चार लाख साठ हजार पाँच सौ बासठ मात्र) जिस पर माह 3/2016 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-4,14,506/- (रू0-चार लाख चौदह हजार पाँच सौ छः मात्र) होती है, के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री जय शंकर त्रिपाठी के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

धनन्जय शुक्ल  
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री जय शंकर त्रिपाठी, पी0सी0एस0 के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- श्री जय शंकर त्रिपाठी, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-म0नं0-602-सी, संस्कृति इन्क्लेव-4, पल्डिको कालोनी, उद्यान-2, रायबरेली रोड, लखनऊ।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)  
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।